7/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण के जरिये वकील आवेदन पेश कर मुकदमा वाद को नोट प्रेस में खारिज करना लिखा है। तथा जरिये अफिडेविट हस्ताक्षर कर वाद को आगे नहीं चलाना हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थीगण ने पहचान की। कि मुकदमा नोट प्रेस में खारिज हो गया है। इसलिए आवेदन अन्तर्गत 212 का कोई औचित्य नहीं है।

अतः आवेदन अन्तर्गत 212 RTAct नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सी

यह फैसला आज दिनांक 7/10/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है. अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

महेन्द्र कुमार शर्मा

किशोर

पहचान कर्ता

Beanwat

R.S. पुबंर